बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार पटना।

उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन संबंधित मूल्याँकन निदेशक हेतु अनुदेश

1. परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं को विवरणी अनुसार मिलान कर लिया जाए।
2. उत्तरपुस्तिका के मिलान के बाद सभी उत्तरपुस्तिकाओं पर Fictitious Code अपने स्तर से करें। इस कार्य हेतु उस पदाधिकारी का सहयोग ले सकते हैं जो परीक्षक नहीं है। उत्तर पुस्तिका को 50–50 का बंडल बनाकर Stock कर ली जाए।
3. कोडिंग या मूल्याँकन के समय यदि किसी उत्तरपुस्तिका पर छात्र द्वारा किसी प्रकार का विशेष पहचान चिन्ह् बनाई गई हो या अन्य अस्वच्छ साधन के प्रयोग के प्रमाण पाए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो उस उत्तरपुस्तिका का मूल्याँकन नहीं कराया जाए। प्रतिवेदित छात्रों के उत्तरपुस्तिका पर मूल्याँकन निदेशक की अध्यक्षता में गठित अनुशासनिक कार्रवाई समिति जिसके सदस्य मूल्याँकन समन्वयक, परीक्षक एवं मुख्य परीक्षक होंगे, पर्षद द्वारा निर्धारित दण्ड पैमाना के अनुरूप दण्ड का निर्धारण कर, पर्षद कार्यालय को प्रतिवेदित की जाए। अपने प्रतिवेदन के साथ सभी पहचान चिन्ह वाली उत्तरपुस्तिकाएँ पर्षद को भेज दी जाए।
4. सभी परीक्षकों से एक प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि उनके द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं में छात्रों द्वारा अस्वच्छ साधन का प्रयोग करने का प्रमाण द्रष्टव्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है।
5. पर्षद द्वारा प्राप्त परीक्षकों की सूची के अनुसार निर्धारित तिथि से मूल्याँकन कार्य आरंभ किया जाए। परीक्षकों को निर्धारित तिथि पर मूल्याँकन केन्द्र पर योगदान देने हेतु संबंधित परीक्षकों को पर्षद द्वारा पत्र निर्गत किया जाता है। अनुपस्थित परीक्षकों की सूची पर्षद को प्रेषित की जाए।
6. विषय के अनुसार सभी मुख्य परीक्षक एवं परीक्षकों के सहयोग से Memorandum तैयार करवाकर (जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है), सभी परीक्षकों को मूल्याँकन के पहले दे दिया जाए।
7. एक परीक्षक को एक दिन में 50 उत्तरपुस्तिकाओं का ही मूल्याँकन करना है। मल्टीशीफ्ट में मूल्याँकन का समय बढ़ाकर 50 उत्तरपुस्तिकाओं से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्याँकन कराया जा सकता है।
8. OMR से बाएँ अर्द्ध भाग पर मुख्य परीक्षक तथा परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ **पूरा नाम** भी अवश्य अंकित रहना चाहिए।
9. पर्षद द्वारा भेजी गई अद्यतन मानदेय दर की सूची के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन का पारिश्रमिक विपत्र को अपने स्तर से पारित कर भुगतान कर दिया जाए।
10. बिहार सरकार के फार्म–193 पर बनाये गए यात्रा विपत्र ही मान्य होगा।
11. मानदेय दर की सूची के अनुसार अन्य मानदेय का भी विपत्र पारित कर भुगतान कर दिया जाए।

SBTE, Bihar

12. पारित एवं भुगतान किये गये विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर पूर्व में प्रेषित निदेशानुसार व्यय विवरणीका एवं उपयोगिता प्रपत्र (संलग्न), मूल्याँकन समाप्त होने के एक माह के अन्दर समायोजन हेतु पर्षद में प्रेषित करायी जाए एवं विपत्र अंकेक्षण हेतु संस्थान में संधारित की जाए।

13. परीक्षकों से प्राप्त OMR के बाएँ अर्द्ध भाग को विषयवार सभी पर्षद को भेज दिया जाए। उत्तर पुस्तिका के Bundle के Sequence को मिलान कर ली जाए।

14. यदि कोई परीक्षक निर्धारित तिथि पर आपके यहाँ योगदान नहीं देते हैं तो उस विषय के लिए अपने स्तर से अनिवार्य योग्यता धारित एवं अनुभवी परीक्षकों को नियुक्त कर लिया जाए तथा उसकी सूचना पर्षद को भेज दिया जाए।

15. परीक्षकों एवं मुख्य परीक्षकों द्वारा प्राप्त OMR ठीक से भर ली गई है। इसकी जाँच कर ली जाए।

16. पर्षद द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

17. एक या एक से अधिक खण्डों के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन हेतु नियुक्ति मुख्य परीक्षक/परीक्षक को अतिरिक्त टी०ए० अनुमान्य नहीं होगा।

18. **Compartmental (Carry Paper) में सम्मिलित छात्रों के उत्तरपुस्तिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर मूल्याँकन कराकर अंक अति शीघ्र पर्षद को उपलब्ध कराया जाए।**

19. अनुत्तीर्ण छात्रों एवं 75% से अधिक प्राप्तांक वाले उत्तर पुस्तिका को मुख्य परीक्षक द्वारा आवश्यक रूप से जाँच करा ली जाए।

20. उत्तर पुस्तिका को OMR के Bundle No. एवं Sequence No. के अनुसार अगले तीन वर्षों तक Scrutiny या अन्य आवश्यक कार्यार्थ सुरक्षित रखी जाए।

21. मूल्याँकन निदेशक को सभी उत्तरपुस्तिकाओं को अपने संरक्षण में रखना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मूल्याँकन कदाचारमुक्त सम्पन्न हुआ।

22. मूल्याँकन निदेशक सभी परीक्षकों/मुख्य परीक्षकों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उनका कोई भी संबंधी उपर्युक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं।

अनुलग्नक :– मेमोरेण्डम की प्रति।

8.06.2016

सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

SBTE, Bihar